तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
24—7—2025	**एकल—पीठ** **श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री योगेन्द्र सिंह, विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी श्री जे.के.पंत व श्री शिवप्रकाश चौधरी, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** 1— यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय जिला कलेक्टर चूरू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13—3—01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2— निगरानी प्रार्थना पत्र के अनुसार तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि अप्रार्थी सं.1 के पिता अमरसिंह ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय तहसीलदार राजगढ के समक्ष प्रस्तुत कर अपने खेत खसरा में जाने हेतु प्रार्थी द्वारा रास्ता अवरूद्ध करने पर प्रार्थी को पाबंद करने एवं रास्ते से आने जाने हेतु बाधा उत्पन्न नहीं करने हेतु निवेदन किया। तहसीलदार राजगढ ने अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत रामपुरा को नियमानुसार निस्तारण हेतु भेज दिया। ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 23—3—99 से खारिज कर दिया गया। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर चूरू के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे जिला कलेक्टर चूरू ने आलोच्य निर्णय दिनांक 13—3—01 से स्वीकार करते हुये ग्राम पंचायत रामपुरा का आदेश दिनांक 23—3—99 निरस्त कर प्रार्थीगण को खातेदारी खेत में आने जाने से न रोकने हेतु पाबंद कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3— विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी मेमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहरात हुये अभिकथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व वाद में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी ने अप्रार्थी सं.1 के विरूद्ध प्रार्थीगण की खातेदारी खेत खसरा नंबर 34 में हस्तक्षेप नहीं करने की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की हुई है। जिला कलेक्टर ने प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। दोनों आदेश विरोधाभासी है। जिला कलेक्टर चूरू को प्रकरण पुनः निर्णय हेतु ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित करना चाहिये था या अप्रार्थी द्वारा सक्षम न्यायालय में सिविल वाद प्रस्तुत किये जाने पर धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन कार्यवाहीं को स्थगित कर देना चाहिये था। अप्रार्थी ने जिला कलेक्टर के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया कि उन्हें ग्राम पंचायत रामपुरा ने सुनवाई का अवसर नहीं दिया। ऐसी स्थिति में प्रकरण को अप्रार्थी को सुनने एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये पुनः निर्णय हेतु ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित करना चाहिये था। जिला कलेक्टर ने प्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा पारित करते समय साक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया। केवल मात्र सिविल	

न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–5–2000 को आधार मानते हुये आदेश पारित किया है। जबकि सिविल न्यायालय का आदेश ग्राम पंचायत के आदेश के बाद का है। मौके की स्थिति एवं नक्शें को देखा जाये तो अप्रार्थी अपने खेत खसरा नंबर 571/36 पर पंहुचने के लिये कभी प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 34 में से आता जाता नहीं है। खसरा नंबर 35 खसरा नंबर 571/36 से लगता हुआ है जिसके ठीक उत्तर में खसरा नंबर 26 है। खसरा नंबर 26 में एक कटाणी रास्ता है जो ग्राम खंझिडया वास से होता हुआ खसरा नंबा 25–26– व 42 में से होता हुआ आगे गांव बेरी को जाता है तथा यह रास्ता अप्रार्थी के खेत से लगता हुआ है जिसे वह उपयोग में लेता है। प्रार्थीगण के खेत खसरा को दो भागों में विभक्त कर रास्ता नहीं दिया जा सकता। मौका रिपोर्ट तहसीलदार द्वारा तैयार नहीं की जाकर पटवारी हल्का द्वारा बिना पक्षकार की उपस्थिति में तैयार की गई है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जाकर निगरानी स्वीकार की जावे।

4– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में कहा कि खसरा नंबर 34 में पुराना रास्ता है तथा अप्रार्थी के खेत खसरा में आने जाने के लिये कोई अन्य रास्ता नहीं है। ग्राम पंचायत ने तहसीलदार/पटवारी की रिपोर्ट को नहीं माना, ना ही सुनवाई का अवसर दिया। न्यायालय सिविल न्यायाधीश (क–ख) राजगढ ने अपने निर्णय दिनांक 19–5–2000 में भी खसरा नंबर 34 में से रास्ता होना माना है। ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर ने समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त किया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होने से निगरानी खारिज की जावे।

5– उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया ।

6– पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि अप्रार्थी सं.1 के पिता अमरसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा आदेश दिनांक 23–3–99 से खारिज कर दिया। अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के उक्त आदेश के विरूद्ध न्यायालय जिला कलेक्टर चूरू के समक्ष अपील प्रस्तुत की जिसे जिला कलेक्टर चूरू ने आलोच्य निर्णय दिनांक 13–3–01 से स्वीकार करते हुये ग्राम पंचायत रामपुरा का आदेश दिनांक 23–03–99 निरस्त कर प्रार्थीगण को खातेदारी खेत में आने जाने से नहीं रोकने की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। जिला कलेक्टर चूरू ने सिविल न्यायाधीश (क–ख) प्रथम वर्ग राजगढ द्वारा पारित निर्णय के आधार पर अप्रार्थी के खेत खसरा नंबर 571/36 में आने जाने के लिये खसरा नंबर 25, 26 व 34 का ही उपयोग उपभोग किया जाना माना है जिसकी पुष्टि तहसीलदार राजगढ की मौका रिपोर्ट एवं सिविल न्यायाधीश (क–ख) प्रथम वर्ग राजगढ के निर्णय दिनांक 19–5–2000 में पारित अस्थाई निषेधाज्ञा से होना अंकित किया है। जबकि ग्राम पंचायत रामपुरा ने तहसीलदार/पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट के विपरीत बिना अप्रार्थी को सुने आदेश पारित किया था। हस्तगत निगरानी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर चूरू द्वारा पारित आलोच्य निर्णय में विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी याचिका के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी स्थिति में हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य हैं। 7— परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (मदनलाल नेहरा) सदस्य	